

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या : 699 पीसीएल/सीए-एस/1

दिनांक : 13. 11. 03

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, लखनऊ से पेंशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० एवं सी०पी०एफ० से सम्बन्धित लेन देनों के सम्बन्ध में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की इकाईयों के लेखों में लेखांकन हेतु निम्नलिखित लेखा प्रक्रिया निर्दिष्ट की जाती है।

1. (अ) ग्रेच्युटी का प्राविधान करने पर :-

Debit - A/C Code-75.840- Gratuity

Credit - A/C Code-44.110-Provision for Gratuity

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी देय है उनके मूल वेतन एवं मंहगाई मत्ता पर 2.38 प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह ग्रेच्युटी का प्राविधान किया जायेगा।

(ब) ग्रेच्युटी दायित्व का ट्रस्ट को भुगतान करने पर :-

Debit - A/C Code-44.110-Provision for Gratuity

Credit- A/C Code-24.4- Bank Expenditure A/C

2. (अ) पेंशन का प्राविधान करने पर :-

Debit - A/C Code-75.830- Pension

Credit - A/C Code-44.120-Provision for Pension

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत पेंशन देय है, उनके मूल वेतन एवं मंहगाई मत्ता पर 16.70 प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह पेंशन का प्राविधान किया जायेगा।

(ब) पेंशन दायित्व का ट्रस्ट को भुगतान करने पर :-

Debit - A/C Code-44.120-Provision for Pension

Credit- A/C Code-24.4-Bank Expenditure A/C

3. (अ) परिक्षेत्रों / इकाईयों स्तर पर जी०पी०एफ०, सी०पी०एफ०, मद में भुगतान करने हेतु ट्रस्ट से परिक्षेत्रों / इकाईयों द्वारा निधि प्राप्त करने पर

Debit - A/C Code-24.4-Bank Expenditure A/C

Credit - A/C Code-44.502 to 44.507-Receipt from Trust (GPF)

परिपत्र संख्या 79/सीएओ/सी-1/138 विविध दिनांक 21.03.2000 द्वारा आवंटित श्रेणीवार लेखाशीर्ष में लेखांकन किया जायेगा।

Credit- A/C Code-44.508 GPF Link Insurance

(ब) परिक्षेत्र / इकाई स्तर पर ट्रस्ट से प्राप्त उक्त निधियों का भुगतान अधिकारियों / कर्मचारियों को करने पर

DEBIT-A/C Code - 44.502 to 44.507-Receipt from Trust (GPF)

DEBIT-A/C Code -44.508-GPF Link Insurance

Credit -A/C Code - 24.4 - Bank Expenditure A/C

ट्रस्ट द्वारा परिक्षेत्र/ इकाई स्तर पर बैंक एकाउन्ट एवं कैश बुक के रख रखाव की अलग व्यवस्था करने पर उक्त बिन्दु (3) की प्रविष्टियां कारपोरेशन के लेखों में नहीं की जायेगी, अपितु ट्रस्ट के निर्देशानुसार अलग से लेखा तैयार करके ट्रस्ट को प्रस्तुत किया जायेगा।

4. (अ) पेंशन, एवं ग्रेच्युटी मद में कारपोरेशन के निधि प्रबन्ध, अनुभाग लखनऊ से इकाई द्वारा निधि प्राप्त करने पर :-

Debit - A/C Code-24.4 Bank Expenditure A/C

Credit - A/C Code-34.06 Receipt for Gratuity

Credit - A/C Code-34.07 Receipt for Pension

23
227
EDD Jagdish
1
सत्य
मि

(ब)परिक्षेत्र/इकाई को निधि प्रबन्ध द्वारा ग्रेच्युटी एवं पेंशन मद में निधि अन्तरित करने पर लेखा शीर्ष 34.06 व 34.07 को डेबिट किया जायेगा, ताकि यह ज्ञात हो सके कि पेंशन व ग्रेच्युटी मद में कितनी राशि अन्तरित की गई।

(स)परिक्षेत्र/ इकाई द्वारा निधि प्रबन्ध (मुख्यालय), लखनऊ से प्राप्त निधि से अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर:

Debit-A/C Code – 44.110- Provision for (Gratuity)

Credit-A/C Code – 44.120-Provision for (Pension)

Debit - A/C Code-24.4-Bank Expenditure A/C

निधि प्रबन्ध, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान ट्रस्ट को करने पर तथा अधिकारियों/ कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने हेतु ट्रस्ट द्वारा इकाईयों को निधि भेजने पर उक्त (4) की प्रविष्टियां नहीं की जाएगी।

5. निधि प्रबन्ध मुख्यालय द्वारा ट्रस्ट से या ट्रस्ट की ओर से उ0प्र0 सरकार से पेंशन, ग्रेच्युटी व जी0पी0एफ0 मद में निधि प्राप्त करने पर :-

Debit - A/C Code-24.4- Bank Expenditure A/C

Credit - A/C Code – 44.515- Receipt from Govt. of U.P. on behalf of Trust at Head Quarter (GPF)

Credit -A/C Code – 44.516 Receipt from Govt. of U.P. on behalf of Trust at Head Quarter (Pension & Gratuity)

ट्रस्ट को भुगतान/समायोजन करने पर उक्त शीर्षों को डेबिट किया जायेगा।

चूंकि ट्रस्ट को जी0पी0एफ, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान निधि प्रबन्ध द्वारा किया जा रहा है अतः ट्रस्ट को देयों का पूर्ण विवरण भी निधि प्रबन्ध की लेखा इकाई लोकेशन कोड 991 द्वारा रखा जायेगा।

6. जी0पी0एफ0 :-

(अ)जी0पी0एफ अंशदान कटौती करने पर लेखा शीर्ष 44.601 से 44.606 को क्रेडिट किया जायेगा।(परिक्षेत्र संख्या 974-कार्य-14-पाकालि दिनांक 14.08.2001 द्वारा आवन्तिन श्रेणीवार शीर्षों में लेखांकन किया जायेगा)

(ब)जी0पी0एफ0 अंशदान इकाईयों द्वारा ट्रस्ट को सीधे भुगतान करने पर

Debit - A/C Code – 44.610 Liability towards GPF Subscription

Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure A/C

(स)जी0पी0एफ0 अंशदान का भुगतान निधि प्रबन्ध द्वारा ट्रस्ट को करने पर:

Debit - A/C Code – 44.610 Liability towards GPF subscription

credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure

जी0पी0एफ0 अंशदान इकाईयों / परिक्षेत्रों द्वारा प्रत्येक माह लेखाशीर्ष 44.601 से 44.606 की क्रेडिट राशियों के विरुद्ध उसी राशि से इन शीर्षों में डेबिट करके लेखाशीर्ष 44.610 में पूर्व की भांति समग्र रूप से क्रेडिट किया जायेगा।

7. सी0पी0एफ0 :-

(अ)सी0पी0एफ0 कर्मचारी अंशदान की कटौती पर लेखा शीर्ष 44.620 सी0पी0एफ0 (Employees share) को क्रेडिट किया जायेगा।

(ब)सी0पी0एफ0 कर्मचारी अंशदान का भुगतान ट्रस्ट को करने पर:

Debit - A/C Code – 44.620 CPF (Employee share)

Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure

(स)सी0पी0एफ0 नियोक्ता अंशदान दायित्व का लेखांकन करने पर :

Debit - A/C Code – 75.860- CPF- Employer Contribution

Credit-A/CCode-44.621-Liab.forCPF-Employer Contribution.

ई०पी०एफ० नियोक्ता अंशदान भुगतान करने पर :

Debit - A/C Code – 44.621 CPF (Employer contribution).

Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure

8. ई०पी०एफ० कमिश्नर से कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान प्राप्त करने पर :-

(अ) कर्मचारी अंशदान प्राप्त करने पर :-

Debit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure A/C.

Credit - A/C Code – 44.601 to 44.606 GPF subscription

(ब) प्राप्त कर्मचारी अंशदान का ट्रस्ट को भुगतान करने पर :-

Debit - A/C Code – 44.610 – Liability towards GPF subscription

Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure A/C

(स) नियोक्ता अंशदान प्राप्त करने पर :-

Dr. Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure A/C

Cr. Debit -A/C Code – 44.121 Liability towards Employer Contribution received from EPF Commissioner.


(द) नियोक्ता अंशदान ट्रस्ट को भुगतान करने पर :-

Debit - A/C Code – 44.121 Liability towards Employer

Contribution received from EPF Commissioner

Credit- A/C Code – 24.4 – Bank Expenditure A/C

पूर्व में प्रचलित लेखा शीर्ष 28.920 समाप्त किया जाता है। दिनांक 01.4.2003 को प्रारम्भिक अवशेषों को भी उक्त सम्बन्धित लेखा शीर्षों में दर्शाते हुए उपरोक्तानुसार लेखांकन सुनिश्चित किया जाय ।



(जे०सी० वर्मा)
उप महा प्रबन्धक (लेखा)

ए क:- 699 /पीसीएल/सीए-एस/1

तददिनांकित:- 13.11.03

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महा प्रबन्धक (निधि प्रबन्ध), /महा प्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक (वितरण एवं पारिषण परिक्षेत्र)
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा, प्रशासन व सम्प्रेक्षा), पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वितरण क्षेत्र, पारिषण क्षेत्र एवं मुख्यालय।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।


(जे०सी० वर्मा)
उप महा प्रबन्धक (लेखा)